# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 54/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/82

उनवान

1. नारायन सिंह उम्र 65 वर्ष } पुत्रान रामजीलाल जातियान जाट निवासीयान धनसौटी तहसील
2. महावीर सिंह उम्र 60 वर्ष } कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. साहब सिंह उम्र 75 वर्ष } पिसरान उदय सिंह जाति जाट निवासी धनसौटी तहसील कुम्हेर
2. विजय सिंह उम्र 60 वर्ष } जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर, तहसील भरतपुर।
4. एबीएजीबी बैंक शाखा अस्तावन जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय एबीएजीबी बैंक शाखा अस्तावन तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
5. पीएनबी शाखा सिनसिनी तहसील डीग जिला भरत र जरिये प्रबन्धक पीएनबी सिनसिनी तहसील डीग जिला भरतपुर।
6. भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कुम्हेर तामील जरिये प्रबन्धक।

..... रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर दिनांक 14.03.2015 प्र.संख्या 378/08 उनवानी साहब सिंह बनाम रामजीलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री सोनीराम शर्मा उपस्थित।

निर्णय दिनांक–20.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस

आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी/रैस्पो0 एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट की पैतृक सम्पत्ति है। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खिलाफ कानून एवं मौके के गलत चले आ रहे हैं। रामचंद से मिली आराजी पर आपस में मनवट कर रखें हैं तथा मनवट के अनुसार ही काश्त कर रहे हैं। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम गलत प्रकार से उक्त आराजी के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी/अपीलाण्ट के मन में बदयान्ती आ गयी है और वह वादीगण को मनवट के अनुसार हिस्से पर काश्त नहीं करने देवा एवं आये दिन परेशान करता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी में वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं विवादित आराजी को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, वाद सुनवाई एवं राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। दिनांक 06.06.2023 को उभयपक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया, जो तस्दीक किया जाकर, शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष राजीनामा पर सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क प्रस्तुत किये कि हम उभयपक्षकारान के मध्य गॉव के भले व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। अतः हम उभयपक्षकारान के मध्य वर्तमान में कोई मनमुटाव शेष नहीं है। मुताबिक राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 2, 3, 4, 47, 78, 80, 83, 84 किता 9 रकवा 2.50 है0 वाके ग्राम धनसौठी तहसील कुम्हेर अपीलाण्ट की वहिस्सा बराबर खातेदारी में रहेगें एवं आराजी खसरा नम्बर 01, 67, 79 किता 03 रकवा 1.16 है0 वाके धनसौठी तहसील कुम्हेर रैस्पो0 की वहिस्सा बराबर की खातेदारी में रहेंगें एवं शेष खसरा नम्बर किता 37 रकवा 13.49 है0 वाके ग्राम धनसौठी अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 की खातेदारी में चारो का वहिस्सा बराबर खातेदारी में है। इसी प्रकार विभाजन होकर खातेदारी में रहेंगें। अंत में मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा भी मुताबिक राजीनामा अपील को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में सहमति जाहिर की गयी।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा हस्तगत अपील में राजीनामा प्रस्तुत करते हुये, मुताबिक राजीनामा अपील को स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय के लिये विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया है। चूंकि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया है एवं उनके मध्य विवादित आराजी बाबत् कोई विवाद शेष नहीं है। फिर भी हमारा मत है कि पक्षकार अपील में किये जा रहे कथित राजीनामा को अधीनस्थ न्यायालय में ही प्रस्तुत करें एवं अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में राजीनामा का मूल्यांकन कर

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

एवं विभाजन प्रस्तावों के नियमों की पूर्ण पालना करते हुए, पक्षकारों के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कराते हुए, पुनः कानूनसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुम्हेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में मुताबिक राजीनामा, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होंवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर